स्पीड पोस्ट

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन अशोक, रोड नई दिल्ली – 110001

फाइल सं. 56/2016/रा0द0अनु0 – ।। दिनांक 30 जून, 2016

सेवा में,

सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल

विषय : फार्म क एवं फार्म ख के संबंध में स्पष्टीकरण–तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान राजनैतिक दल द्वारा खडे किए गए किसी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में मानने के लिए पूरी की जानी वाली शर्तों के संबंध में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 के प्रावधानों की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है। इसमें निर्धारित शर्तो में से एक यह है कि दल के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत् रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित फार्म क निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी दोनों को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा फार्म क में यथा प्राधिकृत दल के प्रतिनिधि द्वारा विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित फार्म ख संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फार्म क एवं फार्म ख , दोनो नाम–निर्देशन करने की आखरी तारीख को अपराहन 3 बजे से पहले प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं। दोनो फार्मो पर मूल रूप से हस्ताक्षर होने चाहिए । फार्म क में प्राधिकार पत्र दल के केन्द्रीय कार्यालय के किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। दल के क्षेत्रीय/निचले स्तर की ईकाइयों द्वारा हस्ताक्षरित फार्म क पैराग्राफ 13 के उदेश्यों के लिए वैध नहीं माना जाएगा।

2. पुनः सूचित किया जाता है कि यह संबंधित दल/ अभ्यर्थियों की जिम्मेवारी होती है कि वह/वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को फार्म क,तथा रिटर्निंग अधिकारियों को फार्म क एवं ख प्रस्तुत करें। पूर्व में, कुछ दलों द्वारा यह राय बनाई हुई प्रतीत होती है कि जहां तक फार्म क का संबंध है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उक्त फार्म को रिटर्निंग अधिकारियों को अग्रेषित करेगा, जो कि सही स्थिति नहीं है। रिटर्निगं अधिकारियों को फार्म क अग्रेषित करना मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेवारी नहीं है। केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को फार्म प्रस्तुत करना पैराग्राफ 13 की अपेक्षाओं के अनुपालन के अनुरूप नहीं है। जब तक उक्त पैरा की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित रिटर्निगं अधिकारियों को फार्म क एवं ख दोनो प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते है, तब तक संबंधित अभ्यर्थियों को दल द्वारा खडे किए गए अभ्यर्थियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपर्युक्त दिशा–निर्देश नोट किए जाएं और दल की सभी निचले स्तर की ईकाइयों के ध्यान में भी लाए जाएं ताकि उपर्युक्त आधार पर अभ्यर्थियों के नाम–निर्देशन / दल के अभ्यर्थी के रूप में प्राधिकार से सम्बन्धित अस्वीकृति के मामलों को टाला जा सके।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि प्रेषितः– सभी राज्यो के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये अनुदेश आपके राज्य/संध राज्य क्षेत्र में आधारित पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दलों सहित सभी राजनैतिक दलों के ध्यान में लाए जाएं।

By Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

F.No. 56/2016/PPS-II Date:30th June, 2016

To,

All the Recognized political parties

Sub:- Clarification regarding Form A and Form B- Regarding.

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the provisions of Paragraph 13 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, regarding the conditions to be fulfilled for treating a candidate as one set up by political party. One of the conditions stipulated therein is that Form A duly filled up and signed by the party authorized representative must be submitted to both the Chief Electoral Officer and the Returning Officer of the constituency, and Form B duly filled up and signed by the party representative as authorized in Form A, should be submitted to the Returning Officer of the respective constituency. Both Form A and Form B are required to be submitted before 3 p.m on the last date for making nominations. Both the Forms should bear signature in original. Authorization in Form A should be signed by an office bearer in the Central office of the party. Form A signed by regional/lower level units of the party will not be treated as valid for the purposes of Paragraph 13.

2. It is reiterated that it is the responsibility of the party/candidates concerned to submit Form A to CEO, and Forms A and B to the Returning Officers. In the past, some parties seem to have taken the stand that in so far as Form A is concerned, the CEO will forward the said Form to the ROs, which is not the correct position. It is not the responsibility of the CEO to forward Form A to ROs. Submission of the Form to CEO alone will not amount to compliance of the requirements of Paragraph 13. Unless and until both the two Forms A and B are submitted to the respective ROs as per the requirements of the said Para, the candidates concerned shall not be treated as candidates set up by the party.

The above guidelines may be noted and also brought to the notice of all lower units of the party so that cases of rejection of nomination of candidates/ authorization as party candidate on the above ground are avoided.

Yours faithfully,

(PRAMOD KUMAR SHARMA)
SECRETARY

Copy to: The Chief Electoral Officers of all states. These instructions may be brought to the notice of all political parties based in your State/Union Territory, including the registered unrecognized parties.